समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
****

दूरभाष संख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 29.12.2016 को मद्य निषेध हेतु मानव श्रृंखला/जागरूकता से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

विभागीय निदेशानुसार दिनांक 21.01.2017 को मद्य निषेध अभियान के तहत मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाना है । विभाग के द्वारा इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है । उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नांकित निदेश दिया गया :–

1. मद्य निषेध से संबंधित मानव श्रृंखला की तैयारी के संबंध में पृच्छा किये जाने पर **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुढ़नी** के द्वारा बताया गया कि कुढ़नी प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तक राष्ट्रीय उच्च पथ से जुड़ा हुआ है । उक्त निर्धारित मुख्य मार्ग (Main Route) को मानव श्रृंखला से आच्छादित करने में कुल 64000 मानवबल एवं 10 प्रतिशत सुरक्षित को मिलाकर लगभग 70000 मानवबल की आवश्कता होगी । राष्ट्रीय उच्च पथ के आसपास के पंचायतों को मिलाकर आवश्यक मानवबल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुढ़नी को निदेश दिया गया कि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी, सरैया, सकरा एवं मड़वन से राष्ट्रीय उच्च पथ के नजदीकी पंचायतों के मानवबल का सहयोग प्राप्त करें । सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए निर्धारित स्थल का निरीक्षण कर लें एवं उसकी स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर ली जाए । अनुमंडलाधिकारी, पश्चिमी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के कार्यों का अपने स्तर से नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेंगे एवं समय–समय पर आवश्यक निदेश देंगे ।

2. मानव श्रृंखला की तैयारी के संबंध में पृच्छा किये जाने पर **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सकरा** के द्वारा बताया गया कि सकरा प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तक राष्ट्रीय उच्च पथ से लगता है । मानव श्रृंखला हेतु कुल 36000 मानवबल की आवश्यकता होगी । राष्ट्रीय उच्च पथ के दो किलोमीटर के परिधि में कुल 12 पंचायतें आते हैं ।

3. मानव श्रृंखला की तैयारी के संबंध में पृच्छा किये जाने पर **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कांटी** के द्वारा बताया गया कि कांटी प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का एन0एच0 28 में 14.2 एवं एन0एच0 57 से 8 किलोमीटर की दूरी लगती है । इस प्रकार कुल मिलाकर 22.2 किलोमीटर में मानव श्रृंखला हेतु लगभग 45000 मानवबल की आवश्यकता होगी । निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के 5 किलोमीटर की परिधि के पंचायतों के शतप्रतिशत लोगों को मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु तैयार किया जाए ।

4. मानव श्रृंखला की तैयारी के संबंध में पृच्छा किये जाने पर **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बोचहा** के द्वारा बताया गया कि बोचहां प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का कुल 17.8 किलोमीटर की दूरी राष्ट्रीय उच्च पथ से लगती है । इस प्रकार मानव श्रृंखला हेतु लगभग 36000 मानवबल की आवश्यकता होगी । यह भी जानकारी दी गई कि सभी विद्यालयों के बच्चों, जीविका दीदियों एवं अन्य स्त्रोंतों से प्रतिभागियों की गणना कर ली गई है । निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के 5 किलोमीटर की परिधि के पंचायतों के शतप्रतिशत लोगों को मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु तैयार किया जाए ।

5. मानव श्रृंखला की तैयारी के संबंध में पृच्छा किये जाने पर **प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मीनापुर** द्वारा बताया गया कि मीनापुरं प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का कुल 12.7 किलोमीटर की दूरी राष्ट्रीय उच्च पथ से लगती है । इस प्रकार मानव श्रृंखला हेतु लगभग 26000 मानवबल की आवश्यकता होगी । यह भी जानकारी दी गई कि सभी स्त्रोंतों से प्रतिभागियों की गणना कर ली गई है एवं वार्डववार लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है । निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के नजदीकी एवं दूर वाले पंचायतों को चिन्हित करते हुए मानवबल की गणना कर ली जाए ।

6. **प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, जीविका, मोतीपुर** द्वारा बताया गया कि मोतीपुरं प्रखण्ड की भौगोलिक सीमा का कुल 17 किलोमीटर की दूरी राष्ट्रीय उच्च पथ से लगती है । इस प्रकार मानव श्रृंखला हेतु लगभग 34000 मानवबल की आवश्यकता होगी । यह भी जानकारी दी गई कि मुख्य मार्ग पर लगभर 10000 जीविका की दीदियां भाग लेंगी । निदेश दिया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ के नजदीकी एवं दूर वाले पंचायतों को चिन्हित करते हुए मानवबल की गणना कर ली जाए ।

7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा बताया गया कि उप श्रृंखला (Sub Route) निर्माण हेतु साहेबगंज से मोतीपुर तक कुल 12 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोतीपुर से समन्वय स्थापित करे हुए सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

8. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बंदरा के द्वारा बताया गया कि उप श्रृंखला (Sub Route) निर्माण हेतु 7 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए । यह भी निदेश दिया गया कि उप श्रृंखला किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय उच्च पथ से आकर मिल जाए ऐसी व्यवस्था की जाए ।

9. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गायघाट के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 21 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए । यह भी निदेश दिया गया कि उप श्रृंखला किसी भी स्थान पर राष्ट्रीय उच्च पथ से आकर मिल जाए ऐसी व्यवस्था की जाए ।

10. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुशहरी के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 11 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

11. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औराई के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 7 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

12. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कटरा के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 33 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

13. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरौल के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 13 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

14. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरैया के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 21 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

15. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, औराई के द्वारा बताया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु 7 किलोमीटर मार्ग को चिन्हित किया गया है । निदेश दिया गया कि सभी स्त्रोंतो से मानवबल की गणना करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली जाए ।

16. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों, मुजफ्फरपुर जिला को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित मुख्य मार्ग (Main Route) के अलावा उप श्रृंखला (Sub Route) के लिए मानवबल की गणना करते हुए उसकी उपलब्धता हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर लिया जाए । मुख्य मार्ग (Main Route) के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले पंचायत, ग्राम, वार्ड, टोला को सबसे पहले लक्षित किया जाए तथा वहां के अधिक–अधिक से आबदी को मानव श्रृंखला में शामिल करने हेतु प्रयास किया जाए । तत्पश्चात यदि और अधिक मानवबल की आवश्यकता महसूस होती है तो 5 किलोमीटर के बाद सम्बद्ध पंचायत को चिन्हित करते हुए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, पैक्स अध्यक्ष, वार्ड सदस्य, टोला सेवक, जीविका समूह, आशा कार्यकर्ता, ए0एन0एम, आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका, जन वितरण प्रणाली के बिक्रता, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक कर सबों को मानवबल का लक्ष्य निर्धारित कर दें । साथ ही सुदूर पंचायतों से लोगों को लोने हेतु आवश्यक संख्या में वाहन आदि की व्यवस्था कर ली जाए ।

17. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रखण्डस्तर/पंचायत स्तर पर अविलंब सभी जन प्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के प्रखण्ड अध्यक्षों, सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर मानव श्रृंखला में अधिक से अधिक सहयोग हेतु लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए तथा प्रतिभागियों का नाम एवं मोबाईल नंबर आदि प्राप्त कर लिया जाए । सभी संबंधितों से मानव श्रृंखला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का नाम एवं मोबाईल नंबर की सूची प्राप्त कर लिया जाए ।

18. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु विस्तृत रूपरेखा/कार्ययोजना अंतिम रूप से दिनांक 31.12.2016 की संध्या तक तैयार कर उसकी एक प्रति उप विकास आयुक्त एवं एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । उक्त कार्ययोजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि सर्वप्रथम निर्धारित मुख्य

मार्ग पर प्रति किलोमीटर किस–किस पंचायत, ग्राम, वार्ड, टोले के विद्यालय के बच्चे, पुरूष, महिलायें मानव श्रृंखला बनायेंगे । प्रति किलोमीटर 2000 प्रतिभागियों की उपलब्धता किन–किन स्थानों से की जा रही है तथा उनके पर्यवेक्षण में किसे लगाया जा रहा है । उक्त निर्धारित मार्ग के आसपास कोई वसावट नहीं है तो उन स्थानों पर आवश्यक संख्या में प्रतिभागियों को किस पंचायत, ग्राम, टोले, कस्बे से लाया जाएगा तथा उनके लाने तथा वापस ले जाने की क्या व्यवस्था है ।

19. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये चेकलिस्ट के अनुसार प्रखण्डस्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारयों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्व में ही कर ली जाए तथा सभी स्तर पर बैठक आदि कर लिया जाए ।

20. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि श्रृंखला हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग (Main Route) के अलावा उप श्रृंखला (Sub Route) के लिए चिन्हित मार्ग पर किस स्थान से किस स्थान तक अथवा किस Section में विद्यालय के बच्चें रहेंगे, कहां पर जीविका की दीदियां, कहां पर अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त मानवबल रहेंगे इसे गहनता से स्पष्ट कर लिया जाए एवं कार्ययोजना में इस बात का उल्लेख किया जाए ।

21. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला हेतु निर्धारित मुख्य मार्ग (Main Route) के अलावा उप श्रृंखला (Sub Route) के लिए चिन्हित मार्ग पर प्रति 100, 200, 500 एवं 1000 मीटर तथा उसके आगे दूसरे, तीसरे, चौथे... .... किलोमीटर को मार्किंग करते हुए मानव श्रृंखला के पर्यवेक्षण एवं विधि–व्यवस्था संधारण हेतु अलग–अलग कर्मियों/पदाधिकारियों को चिहिन्त करते हुए विधिवत आदेश जारी कर दिया जाए । साथ ही पूर्व में ही मॉक ड्रिल आदि कराते हुए आश्वस्त हो लिया जाए । मानव श्रृंखला कहीं टूटे नहीं इसका विशेष ध्यान रखा जाए ।

22. **प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता** – मानव श्रृखला हेतु लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया स्लोगन को सभी सार्वजनिक एवं सुगोचर स्थलों पर चिपकाने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को दिया गया । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों एवं उन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के माध्यम से मानव श्रृंखला निर्माण में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु सघन प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता का कार्यक्रम चलायें ।

22.1 सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों, जीविका/सभी प्रखण्ड समन्वयकों, सर्व शिक्षा अभियान को निदेश दिया गया कि अधिक से प्रचार–प्रसार करायें तथा वहां के लोगों को मानव श्रृंखला में भागीदारी सुनिश्चित करायें । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार इस तरह की जाए कि लोग स्वंय मानव श्रृंखला में भाग लेने हेतु उत्साहित हो जायें ।

22.2 जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जन जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु जीविका एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एक कार्ययोजना तैयार कर ली जाए एवं तदनुसार समानान्तर रूप से सम्पूर्ण जिले में जागरूकता

कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाए । साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि बैनर, फ्लेक्सी आदि के माध्यम से भी लोगों को जागरूक बनायें तथा सभी सार्वजनिक एवं सुगोचर स्थलों पर उसे प्रदर्शित करा दें ।

23. सभी विभागीय पदाधिकारियों/प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला निर्माण के क्रम में निर्धारित मुख्य मार्ग से सटे यदि कोई खुला मैदान, परिसर पाया जाता है तो वहां पर नवोन्मेष (Innovation), मद्य निषेध से संबंधित संदेश, मूविंग आदि का कार्यक्रम किया जा सकता है, ताकि इस अभियान को और भी आकर्षक एवं प्रभावी बनाया जा सके । नवोन्मेष (Innovation) हेतु पूर्व से ही सभी आवश्यक तैयारियाँ एवं उसकी रूपरेखा सुनिश्चित करा ली जाए ।

24. सभी अनुमंडलाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानव श्रृंखला की तैयारी हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाए तथा समय–समय पर आवश्यक निदेश दिया जाए ।

25. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता को निदेश दिया गया कि जिलास्तर पर सभी सरकारी, निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निदेश उपलब्ध करा दिया जाए ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह०/-

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 7391 **/गो., दिनांक** 31/12/16

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक/उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता/अपर समाहर्ता, अपदा प्रबंधन/विभागीय जांच/अपर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/सहायक समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/उत्पाद अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/ अनुमंडलाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी/पुलिस उपाधीक्षक, नगर/पूर्वी /पश्चिमी/सरैया/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जीविका/जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मुजफ्फरपुर/निदेशक, एन.ई.पी./निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी.आर.डी.ए., मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी/जिला लेखा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन संपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला योजना पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, आर.टी.पी.एस./प्रभारी पदाधिकारी, एम. डी.एम., मुजफ्फरपुर एवं समाहरणालय स्थित सभी प्रभारी पदाधिकारियों/सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा/सभी थानाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय अन्य पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पूर्वी/पश्चिमी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या 01 एवं 02, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी–1 एवं 2/पश्चिमी/कार्यपलाक अभियंता, डूडा/कार्यपालक अभियंता, नगर निगम/कार्यपालक अभियंता, एन0एच0,–1/2, मुज0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।